राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.16(3) चि.स्वा./ग्रुप–2/2017 जयपुर, दिनांक : 05.11.2017

समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान

विषयः– राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को सामूहिक इस्तीफे की घोषणा से उत्पन्न स्थिति में वैकल्पिक चिकित्सकीय अत्यावश्यक सुविधाओं के बारे में पूर्व तैयारी के संबंध में दिशा–निर्देश।

राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा वेतन, पदोन्नति व अन्य सेवा शर्तों के संबंध में पिछले कुछ समय से राज्य सरकार को ज्ञापन देकर इनमें सुधार की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार के स्तर पर इस संबंध में कई बैठकें हुई तथा सेवारत चिकित्सकों को राज्य सरकार ने उनकी मांगों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रगति से अवगत कराया है।

सेवारत चिकित्सकों से सहानुभूति पूर्वक वार्ता करने के बावजूद भी सेवारत चिकित्सकों के द्वारा सामूहिक रूप से दिनांक 06.11.2017 को इस्तीफे दिये जाने की घोषणा की गई है।

प्रदेश के सेवारत चिकित्सकों की उक्त घोषणाओं और कार्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा जन विरोधी घोषित करते हुए **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाऐं घोषित की गई हैं।** चिकित्सा सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए **प्रदेश में राजस्थान आवश्यक सेवा मेन्टीनेन्स एक्ट (रेश्मा) के तहत कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया है।** गृह विभाग द्वारा इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्रदेश के सेवारत चिकित्सकों के उक्त जन विरोधी कार्यक्रम से आमजन को राहत व चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु निम्न कार्यवाही आज ही किया जाना आवश्यक है:–

1. संभागीय स्तर पर

(i) संबंधित संभागीय आयुक्त अपने मुख्यालय के मेडिकल कॉलेज से आवश्यक विषय जैसे :– मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स व गायनी के समुचित चिकित्सकों की जिला मुख्यालयों के अस्पतालों में इस प्रकार डयूटी लगायी जावें कि कम से कम 2 चिकित्सक प्रति 8 घण्टे की पारी में उपलब्ध हो सके।

(ii) यदि किसी मेडिकल कॉलेज में अधिक डाक्टर उपलब्ध होने की संभावना हो तो पास के संभाग में अतिरिक्त चिकित्सक भेजा जाना सुनिश्चित करे।

2. जिला स्तर पर

(1) अवकाश के संबंध में आवश्यक निर्देश

(i) किसी भी परिस्थिति में किसी चिकित्सक का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे।

(ii) यदि फिर भी कोई चिकित्सक अनाधिकृत अवकाश पर रहता है तो उनके खिलाफ राज्य सेवा नियम में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जायें।

(2) वैकल्पिक चिकित्सकीय व्यवस्था के बारे में जिला कलक्टर निम्नानुसार कार्यवाही करेंगे:–

(i) सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आपके जिले में कार्यरत आयुष चिकित्सकों को लगा दिया जाये।

(ii) जिले में कार्यरत सेवानिवृत्त चिकित्सकों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी सहायता जिला अस्पताल या खण्ड अस्पताल में इमरजेन्सी सेवाओं के लिए ली जां सकती है।

(iii) जिले में यदि केन्द्रीय सेवाओं के चिकित्सालय जैसे – रेल्वे, मिलेट्री आदि उपलब्ध हो तो इन चिकित्सालयों के नियंत्रकों से सम्पर्क कर आवश्यक चिकित्सक उपलब्ध कराये जा सकते है। इसके लिए संबंधित उच्च अधिकारियों से सहमति ली जा चुकी है।

(iv) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में चयनित आपके जिले के निजी अस्पतालों को भी आपात योजना में शामिल करें। उन्हें इस बाबत निर्देश जारी किये जा चुके है।

(v) जिले में कार्यरत समाज सेवी संस्थाओं यथा – रोटरी क्लब, लॉयन्स क्लब, लॉयनेस क्लब, रेडक्रास, मेरी स्टॉप्स, परिवार सेवा संस्थान आदि से सम्पर्क स्थापित कर उनकी सेवाऐं भी आपातकालीन चिकित्सकीय सेवाओं में लिये जाने हेतु सुनिश्चित किया जावे।

(vi) अन्तःरोगी को भर्ती करने वाले चिकित्सक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उस रोगी के भर्ती रहने तक किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं लेगा। उस रोगी की परिचर्या की जिम्मेदारी भी उसी चिकित्सक की होगी। यदि संबंधित चिकित्सक रोगी की परिचर्या में कोताही बरतता है, तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

(vii) यदि कोई रोगी निजी चिकित्सालय से परामर्श लेता है व उसे जेनेरिक दवा लिखी जाती है तो वह दवा राजकीय चिकित्सालय के दवा वितरण केन्द्र से निःशुल्क दी जाये।

(3) सहायक चिकित्सकीय व्यवस्थाऐं :–

(i) जीवीके ई. एम. आर. आई. को उनके पास उपलब्ध 108/104/अन्य एम्बूलेंस वाहनों को जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आपात कालीन स्थिति अनुसार उपलब्ध कराने के लिए अलग से निर्देश जारी कर दिये गये है। आप इनके जिला स्तरीय प्रतिनिधि से सम्पर्क कर रोगियों को निजी अस्पतालों में भिजवाने की व्यवस्था कर सकते है।

(ii) जिला स्तर पर कन्ट्रोल–रूम को तुरन्त सक्रिय किया जाये तथा प्रति घण्टे पूरे जिले की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जाये तथा प्रति दो घण्टे से राज्य स्तर पर, नियत्रंण कक्ष के दूरभाष नम्बर 0141–2225624 एवं 2225000, को सूचना दी जाये।

(iii) चिकित्सकों के असहयोग करने की स्थिति में भी संस्थान पर उपलब्ध अन्य स्टाफ यथा आयुष चिकित्सक, आयुर्वेद विभाग के चिकित्सक/कार्मिक, पैरा मेडिकल/नर्सिंग स्टाफ की सेवाओं का उपयोग सुनिश्चित करायें। इन्हें अनावश्यक अवकाश नहीं दिया जावे।

चिकित्सकों की प्रस्तावित सामूहिक इस्तीफे से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए उपरोक्त वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिये अपनी अध्यक्षता में उपरोक्तानुसार आवश्यक अधिकारियों/कार्मिकों की बैठक कर उनका सहयोग लिया जाये। आपके अधीन कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, एस. डी. एम., तहसीलदार, विकास अधिकारी आदि) की सेवाओं का भी परिस्थिति अनुरूप उपयोग करें।

(वीनू गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय

4. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक, एन. एच. एम.।
8. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
10. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राज.
11. समस्त संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को भेजकर लेख है कि जिला कलक्टर से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करावें।
12. प्रभारी कन्ट्रोल रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर
13. प्रभारी सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सभी संबंधित को ई–मेल करावें एवं विभाग की बेवसाईड पर तुरन्त अपलोड करावें।
14. निजी /रक्षित पत्रावली

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव